अध्याय – 1

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विहंगावलोकन

प्रस्तावना

1.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी कम्पनियाँ तथा सांविधिक निगम समाविष्ट है। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक प्रकृति के क्रियाकलापों को पूरा करने के लिये की गई है । राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों ने सितम्बर 2013 के अपने अद्यतन अंकेक्षित लेखाओं के अनुसार ₹ 58237.27 करोड़ का व्यवसाय किया । मध्यप्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रमुख गतिविधियाँ विद्युत क्षेत्र में संकेन्द्रित है। सितम्बर 2013 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों ने अपने अंतिम रूप दिये गये अद्यतन अंकेक्षित लेखाओं के अनुसार सितम्बर 2013 को कुल मिलाकर ₹ 4031.63 करोड़ की हानि उठाई । 31 मार्च 2013 को उपक्रमों में 58459 कर्मचारी[1] कार्यरत थे ।

1.2 नीचे दी गई तालिका 1.1 के विवरणों के अनुसार 31 मार्च 2013 को सार्वजनिक क्षेत्र के 64 उपक्रम थे (55 कार्यशील एवं 9 अकार्यशील) । इनमें से कोई भी कम्पनी स्टाफ एक्सचेन्ज में सूचीबद्ध नहीं थी ।

तालिका क्रमांक 1.1

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रकार	सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रम	सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रम[2]	योग
सरकारी कम्पनियाँ[3]	52	9	61
सांविधिक निगम	3	निरंक	3
योग	**55**	**9**	**64**

1.3 वर्ष 2012–13 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के एक[4] उपक्रम की स्थापना की गई एवं एक[5] उपक्रम को समाप्त किया गया था ।

लेखापरीक्षा अधिदेश

1.4 सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 द्वारा शासित/नियंत्रित की जाती है। धारा 617 के अनुसार एक सरकारी कम्पनी वह कम्पनी होती है जिसमें सरकार/सरकारों की पूंजी, प्रदत्त पूंजी के 51 प्रतिशत से कम न हो। एक सरकारी कम्पनी में सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी भी सम्मिलित होती है । यह भी कि एक कम्पनी जिसमें 51 प्रतिशत प्रदत्त पूंजी सरकारों, सरकारी कम्पनीयों तथा सरकार के नियंत्रण वाले उपक्रमों के किसी समूह द्वारा संयोजित की गई हो तो उसे भी कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–ख के अनुसार एक सरकारी कम्पनी (मानद सरकारी कम्पनी) मानी जायेगी ।

---

[1] 42 सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों द्वारा विवरण के अनुसार शेष 13 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने विवरण नहीं दिया ।

[2] सार्वजनिक क्षेत्रों के अकार्यशील उपक्रम वे है जिन्होने अपने क्रियाकलाप बंद कर दिये है ।

[3] 619–ख कम्पनियाँ सम्मिलित है।

[4] मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (सागर) लिमिटेड।

[5] मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल को सम्मिलित कर जिसको दिनांक 26 अप्रैल 2012 के प्रभाव से बिना परिसमापन समाप्त कर दिया गया है।

1.5 राज्य की सरकारी कम्पनियों के लेखे (जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित है) की लेखापरीक्षा उन सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है जिनकी नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के प्रावधानों के अनुसार नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। इन लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा भी कम्पनी अधिनियम, 1956 के धारा 619 के प्रावधानों के अनुसार नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है ।

1.6 सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा अपने–अपने संबंधित विधायतों[6] द्वारा नियन्त्रित होती है। तीन सांविधिक निगमों में से मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम (म.प्र.स.प.नि.) हेतु नियंत्रक–महालेखापरीक्षक एक मात्र लेखापरीक्षक है। मध्यप्रदेश वेयरहाऊसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कारपोरेशन (म.प्र.वि.लॉ.का.) और मध्यप्रदेश वित्त निगम (म.प्र.वि.नि.) की लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है ।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

1.7 31 मार्च 2013 को सार्वजनिक क्षेत्र के 64 उपक्रमों (619–ख कम्पनियों सहित) में निवेश नीचे दिये गये तालिका क्र. 1.2 के विवरणों के अनुसार ₹ 46365.94 करोड़ था ।

तालिका क्रमांक 1.2 *(₹ करोड़ में)*

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रकार	सरकारी कम्पनियां			सांविधिक निगम			महायोग
	पूंजी	दीर्घकालीन ऋण	योग	पूंजी	दीर्घकालीन ऋण	योग	
सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रम	16863.12	27401.22	44264.34	511.01	1396.58	1907.59	46171.93
सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रम	59.57	134.44	194.01	..	..	..	194.01
योग	**16922.69**	**27535.66**	**44458.35**	**511.01**	**1396.58**	**1907.59**	**46365.94**

(स्त्रोत :– सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त की गई जानकारी)

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी निवेश का सारांश ***परिशिष्ट–1.1*** में दर्शाया गया है ।

1.8 31 मार्च 2013 को राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश का 99.58 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों में और शेष 0.42 प्रतिशत अकार्यशील कम्पनियों में था। इस कुल निवेश में पूंजी के 37.60 प्रतिशत और दीर्घकालीन ऋणों के 62.40 प्रतिशत समाविष्ट है। निवेशों में 181.47 प्रतिशत तक कि वृद्धि हुई जो कि वर्ष 2007–08 में ₹16472.66 करोड़ से वर्ष 2012–13 में ₹ 46365.94 करोड़ तक थी, जिसे ग्राफ क्र. 1.1 में दर्शाया गया है ।

[6] म.प्र.स.प.नि.; सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950, म.प्र.वे.ला.का.; वेयर हाउसिंग निगम अधिनियम, 1962; म.प्र.वि.नि; राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951।

ग्राफ क्रमांक 1.1

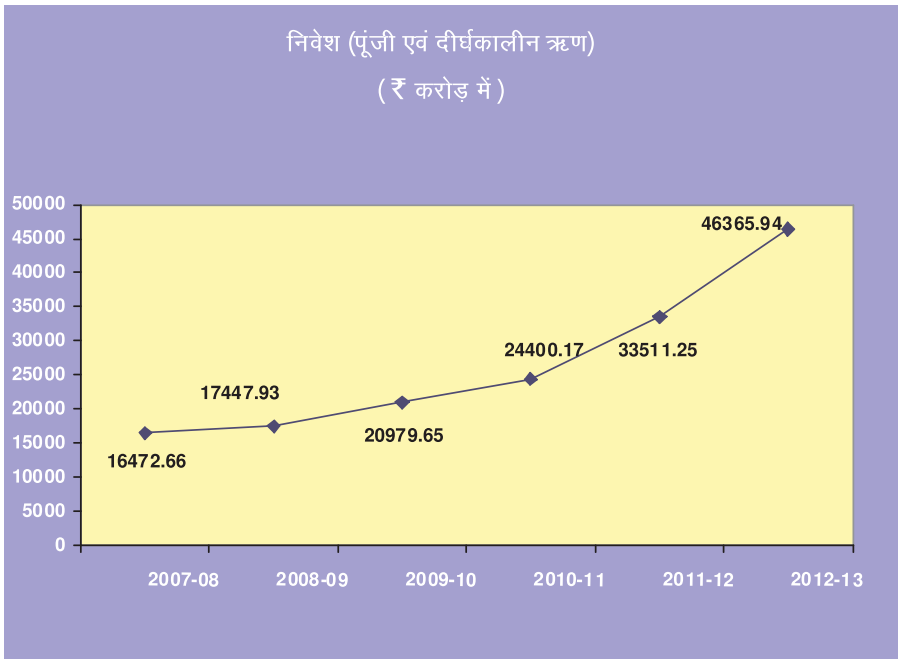

(स्त्रोत :– सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त की गई जानकारी)

1.9 31 मार्च 2008 तथा 31 मार्च 2013 के अंत में विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश और उसका प्रतिशत ग्राफ क्र. 1.2 में प्रदर्शित किया गया है :

ग्राफ क्रमांक 1.2

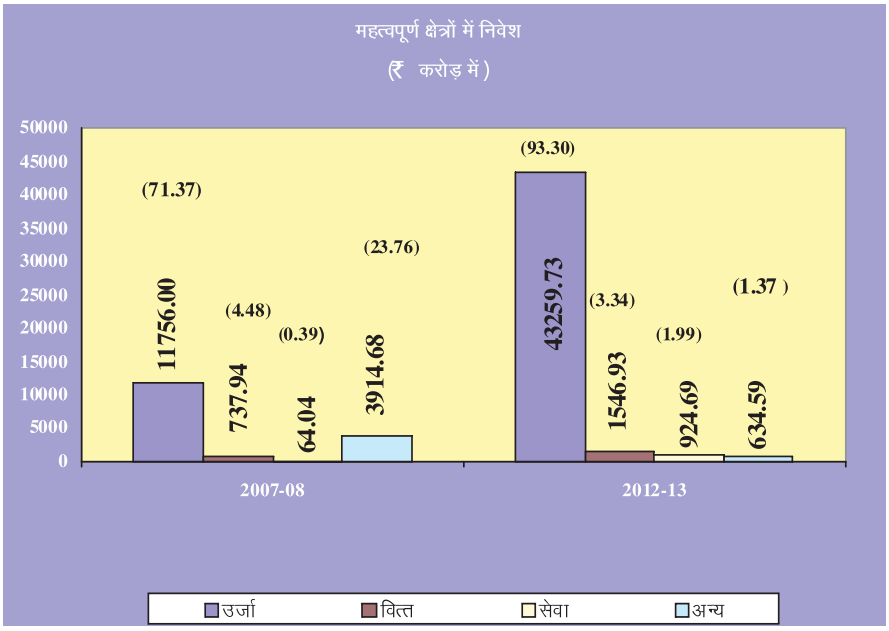

(कोष्ठक में दर्शाये गए आकड़े कुल निवेश की प्रतिशतता दर्शाते हैं।)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निवेश का जोर मुख्य रूप से विद्युत क्षेत्र में रहा जो कि वर्ष 2007–08 में ₹11756.0 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012–13 में ₹ 43259.73 करोड़ हो गया। वर्ष 2007–08 की तुलना में वर्ष 2012–13 में सरकार का निवेश ऊर्जा वित्त एवं सेवा क्षेत्र में बढ़ गया जबकि अन्य क्षेत्र में कम हो गया ।

बजट से प्राप्त समता पूँजी, अनुदान/आर्थिक सहायता, गारंटियां तथा ऋण

1.10 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को राज्य सरकार से समता पूंजी, ऋण, अनुदान/आर्थिक सहायता, जारी गारंटियां, तथा समता पूंजी में परिवर्तित ऋण सम्बन्धी बजट से प्राप्त राशि के विवरण ***परिशिष्ट 1.2*** में दिये गये है। 2012–13 को समाप्त तीन वर्षो के संक्षिप्त विवरण तालिका क्र. 1.3 में दिए गए हैः

तालिका क्रमांक 1.3

क्र. स.	विवरण	2010–11		2011–12		2012–13	
		सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	बजट से प्राप्त समता पूंजी	10	1060.63	9	1147.38	9	1418.65
2.	बजट से दिए गए ऋण	6	989.25	6	1745.99	4	2148.50
3.	प्राप्त अनुदान/आर्थिक सहायता	14	2467.91	18	5981.37	18	8588.93
4.	कुल प्राप्त राशि (1+2+3)		4517.79		8874.74		12156.08
5.	समता पूंजी में परिवर्तित ऋण	..	..	..	..		..
6.	जारी गारंटियां	6	748.63	8	2429.15	7	5303.11
7.	वचनबद्धता वाली गारंटी	7	3247.37	7	3259.42	8	4815.88

(स्त्रोत :– सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त की गई जानकारी)

1.11 विगत छः वर्षो के लिये समता पूंजी, ऋण तथा अनुदान/आर्थिक सहायता संबंधी बजट से प्राप्त राशि के विवरण ग्राफ क्र. 1.3 में दिये गये है ।

ग्राफ क्रमांक 1.3

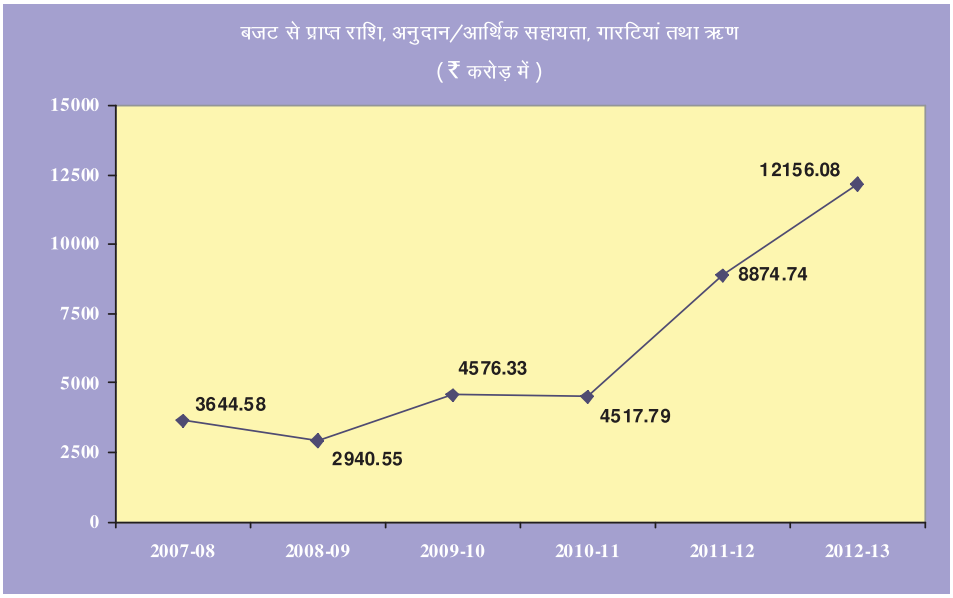

(स्त्रोत :– सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त की गई जानकारी)

बजट से समता ऋण एवं अनुदान/आर्थिक सहायता वर्ष 2011–12 में ₹8874.74 करोड़ से बढ़कर 2012–13 में ₹12156.08 करोड़ प्राप्त हुये । जिसका कारण 9 उपक्रमों[7] में समता का बढ़ना, 4 उपक्रमों[8] में ऋणों का बढ़ना तथा 18 उपक्रमों[9] में अनुदान/आर्थिक सहायता बढ़ना रहा है।

1.12 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम संस्वीकृत अधिकतम गारंटी पर राज्य सरकार को प्रतिवर्ष 0.5 प्रतिशत से एक प्रतिशत की दर से गारंटी कमीशन भुगतान करने के लिये बाध्य है । चाहे उपक्रमों ने उस राशि का लाभ उठाया हो या राशि बकाया हो । सरकार ने वर्ष 2012–13 क अंत तक आठ[10] उपक्रमों को समता पूंजी एवं ऋण की राशि ₹ 4815.88 करोड़ की गारंटी दी थी । 31 मार्च 2013 को आठ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा गारंटी कमीशन के ₹ 40.63 करोड भुगतान करने थे। केवल तीन[11] सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा गारंटी कमीशन के ₹1.98 करोड का भुगतान किया गया।

वित्त लेखे के साथ मिलान

1.13 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अनुसार बकाया समता पूंजी, ऋण तथा गारंटियों के आकड़ों का मिलान राज्य के वित्त लेखे में प्रदर्शित आंकडों के साथ होना चाहिये । यदि आंकड़े मेल नहीं खाते है, तो सम्बन्धित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा वित्त विभाग को मिलान करना चाहिये । 31 मार्च 2013 को इस सम्बन्ध में स्थिति तालिका क्र. 1.4 में दी गई है :

तालिका क्रमांक 1.4 *(₹ करोड़ में)*

निम्नांकित के संबंध में बकाया	वित्त लेखे के अनुसार राशि	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखो के अनुसार राशि	अंतर
समता पूंजी	9414.00	12355.75	2941.75
ऋण	21190.62	17072.77	4117.85
गारंटियां	6281.62	5303.11	978.51

(स्त्रोत :– वित्तीय लेखे 2012–13 तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त की गई जानकारी)

1.14 हमने पाया कि अन्तर, 31 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में थे । सरकारी कम्पनियों/निगमों में राज्य सरकार द्वारा निवेश किये गये समता पूंजी तथा ऋणों के आंकड़ों में विसंगति के मिलान के लिये को सरकार एवं समस्त सम्बन्धित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पत्र लिखे गए थे । सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अन्तरों के मिलान के लिये समयबद्ध ढंग से ठोस कदम उठाना चाहिये ।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

1.15 सार्वजनिक उपक्रमों के वित्तीय परिणाम एवं सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति तथा सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणामों का विवरण क्रमाशः ***परिशिष्ट 1.3, 1.4, एवं 1.5*** में दिया गया है।

---

[7] परिशिष्ट – 1.2 के क्र. अ. – 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, व ब–1।

[8] परिशिष्ट – 1.2 के क्र. अ. – 6, 14,16,17।

[9] परिशिष्ट – 1.2 के क्र. अ. – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20।

[10] परिशिष्ट – 1.2 के क्र. अ. – 6,8,13,14,15,16,17 एवं ब–1।

[11] परिशिष्ट – 1.3 के क्र. अ. – 32, 36, एवं ब–2।

1.16 वर्ष 2007–08 से 2012–13 के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ/उठाई गई हानि के विवरण ग्राफ क्र. 1.4 में दिये गये है।

ग्राफ क्रमांक 1.4

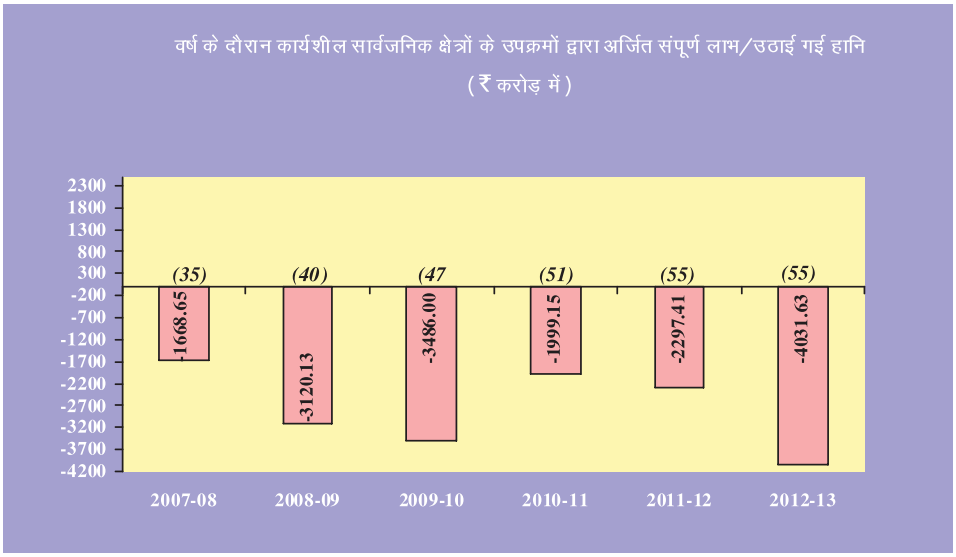

(कोष्ठक में दर्शाये गए आकड़े संबंधित वर्ष में कार्यशील क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या को दर्शाता है।)

अद्यतन अंकेक्षित लेखों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹4031.63 करोड़ की हानि उठाई। 55 कार्यशील उपक्रमों में से 26 उपक्रमों ने ₹ 275.94 करोड़ का लाभ कमाया जबकि सात[12] उपक्रमों को न लाभ हुआ न हानि और 18 उपक्रमों ने ₹ 4307.57 करोड़ की हानि उठाई। चार[13] कंपनियो से उनके प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुये। लाभ में प्रमुख योगदान मध्यप्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड (₹ 45.77 करोड़) मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन (₹41.72 करोड़), मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (₹37. 18 करोड़), मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (₹26.03 करोड़), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विकास निगम लिमिटेड (₹25.92 करोड़) का था। हानि में प्रमुख योगदान मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹1432.23 करोड़), मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विघुत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 1424.99 करोड़), मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 1414.93 करोड़) एवम् मध्यप्रदेश पावर जनरेंटिग कम्पनी लिमिटेड (₹ 10.33 करोड़) का था। वर्ष 2011–12 की अपेक्षा हानियों में हुई वृद्धि का मुख्य कारण तीनो वितरण कम्पनियों द्वारा भारी हानि उठाना था।

1.17 नियंत्रक महालेखापरीक्षक के अद्यतन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की एक समीक्षा से प्रकट हुआ कि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹458.22 करोड़ की हानियां उठाई और ₹62.97 करोड़ के निष्फल निवेश किये, जिसको अपेक्षाकृत अच्छे प्रबन्धन से नियन्त्रित किया जा सकता था । जिसका उल्लेख तालिका क्र. 1.5 में है।

[12] परिशिष्ट 1.1 के क्र अ. 19, 23, 31, 37, 38, 41, एवं 51।

[13] परिशिष्ट 1.3 के क्र. अ – 9, 16, 49, 50।

तालिका क्रमांक 1.5 (₹ करोड़ में)

विवरण	2010–11	2011–12	2012–13	योग
निवल लाभ / (हानि)	(1999.15)	(2297.41)	(4031.63)	(8328.19)
नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार नियन्त्रण योग्य हानियां	800.85	27.35	458.22	1286.42
निष्फल निवेश	..	180.29	62.97	243.26

1.18 राज्य सरकार ने समता पूंजी पर न्यूनतम 20 प्रतिशत लाभांश के भुगतान के लिये एक लाभांश नीति बनाई थी (जुलाई 2005) । अपने 30 सितम्बर 2013 को अद्यतन अंकेक्षित लेखाओं के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के 26 उपक्रमों ने कुल ₹ 275.94 करोड़ का लाभ अर्जित किया और सार्वजनिक क्षेत्र के तीन[14] उपक्रमों ने ₹15.82 करोड का लाभांश घोषित किया। जबकि शेष 23 लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों ने कोई लाभांश घोषित नहीं किया।

अंतिम रूप न दिये गये बकाया लेखे

1.19 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166,210,230,619 तथा 619 –ख के अधीन कम्पनी के प्रत्येक वित्त वर्ष के लेखाओं को सम्बन्धित वित्त वर्ष की समाप्ति से छः माह के भीतर अंतिम रूप देना अपेक्षित है। इसी प्रकार सांविधिक निगमों के प्रकरण में, उनके लेखाओं को उनसे संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार अंतिम रूप दिया जाना होता है, उनकी लेखापरीक्षा की जाती है और विधान सभा के पटल पर रखा जाता है । तालिका क्र. 1.6 में सितम्बर 2013 तक, सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों द्वारा लेखाओं को अंतिम रूप देने में की गई प्रगति के विवरण दिये गये है :

तालिका क्रमांक 1.6

क्र. स.	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों की संख्या	40	47	51	55	55
2.	वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिये गए लेखाओं की संख्या	25	49	59	50	49*
3.	बकाया लेखाओं की संख्या	69	66	58	63	64
4.	प्रति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की औसत बकाया (3 / 1)	1.73	1.40	1.14	1.15	1.16
5.	बकाया लेखाओं वाले सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों की संख्या	29	33	26	26	25
6.	बकायों की सीमा	1 से 8 वर्ष	1 से 8 वर्ष	1 से 7 वर्ष	1 से 8 वर्ष	1 से 9 वर्ष

(स्त्रोत :– सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त की गई जानकारी)

1.20 बकाया लेखों की संख्या में 2010–11 तक कमी आई। तत्पश्चात् उनमें 2012–13 तक वृद्धि हुई है। वर्ष 2012–13 के दौरान 55 कार्यशील उपक्रमों के 49 लेखें अंतिम रूप दिए गए तथा 64 लेखे बकाया थे।

[14] मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड; मध्यप्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड; और संत रविदास हस्तशिल्प एवं विकास निगम लिमिटेड।

* इसमें कार्यशील सार्वजनिक उपक्रमों के 48 लेखे तथा सांविधिक निगम (मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लाजिस्टिक कारपोरेशन) का एक लेखा सम्मिलित है।

1.21 उपरोक्त के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों में भी लेखे बकाया थे । सार्वजनिक क्षेत्र के 09 अकार्यशील उपक्रमों में से सात[15] परिसमापन प्रक्रिया में थे एवं शेष दो[16] उपक्रमों में लेखें तीन से पांच वर्ष तक के लिए बकाया थे ।

1.22 राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान ऐसे 11 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में जिनके लेखे तैयार नहीं थे, ₹296.60 करोड (समता अंशः ₹18.43 करोड, ऋणः ₹9.00 करोड , आर्थिक सहायताः ₹160.70 करोड तथा अनुदानः ₹108.47 करोड) का निवेश किया था जिसका विवरण परिशिष्ट–1.6 में दिया गया है । वार्षिक लेखे न बनने एवं उनकी लेखापरीक्षा ना होने के कारण, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निवेश एवं व्ययों को लेखाओं में ठीक ढंग से लेखांकन किया गया है या नहीं एवं व्यय/निवेश जिस उदेश्य से किये गये थे उनकी प्राप्ति हुई है या नहीं । इस प्रकार सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी निवेश राज्य विधायिका की समीक्षा से बाहर रह गया। इसके अतिरिक्त लेखे तैयार करने में विलम्ब के परिणामस्वस्प कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन के साथ–साथ जनता के पैसों में धोखाधड़ी का जोखिम तथा दुरूपयोग भी हो सकता है ।

1.23 प्रशासनिक विभागों का यह दायित्व है कि इन संस्थानों की गतिविधियों पर दृष्टि रखें और यह सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निर्धारित अवधि में लेखाओं को अंतिम रूप दिया जाए तथा उन्हें अंगीकृत किया जाए । हालांकि संबंधित प्रशासनिक विभागों को लेखापरीक्षा द्वारा बकाया लेखों की जानकारी के संबंध में तिमाही आधार पर सूचित किया जाता है तथा यह मामला सितम्बर 2013 में मुख्य सचिव/प्रधान सचिव के ध्यान में भी लाया गया अपितु उपचार हेतु कोई उपाय नहीं किया गया।

1.24 बकायों की उपरोक्त स्थिति के परिपेक्ष्य में यह अनुशंसा की गई है कि सरकार को बकाया लेखाओं के समापन पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए लेखाओं को समय पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए ताकि कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का अनुपालन हो ।

सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों का समापन

1.25 31 मार्च 2013 को सार्वजनिक क्षेत्र के 09 अकार्यशील उपक्रम थे । इनमें से सार्वजनिक क्षेत्र के सात अकार्यशील उपक्रमों ने समापन प्रक्रिया आरम्भ कर दी है ।

1.26 वर्ष 2012–13 के दौरान किसी भी कम्पनी/निगम की समापन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई । अकार्यशील कम्पनियों की समापन की स्थिति[17] तालिका क्र. 1.7 में दी गई है ।

---

15 मध्यप्रदेश लिफ्ट इरिगेशन निगम लिमिटेड; मध्यप्रदेश राज्य दुग्ध विकास निगम लिमिटेड; मध्यप्रदेश फिल्म विकास निगम लिमिटेड; मध्यप्रदेश पंचायती राज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड; मध्यप्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम लिमिटेड; ऑपटेल टेलीकम्यूनिकेशन लिमिटेड एवं मध्यप्रदेश विद्युत यंत्र लिमिटेड।

16 मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम लिमिटेड एवं मध्यप्रदेश राज्य वस्त्रोद्योग लिमिटेड।

17 कम्पनियों द्वारा कोई अंतिम जानकारी नहीं दिये जाने के कारण अंकेक्षण प्रतिवेदन 2011–12 से लिया गया।

तालिका क्रमांक 1.7

क्र. सं.	विवरण	कम्पनियां
1.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल संख्या	9
2.	उपरोक्त (1) में से संख्या नीचे	
(क)	स्वेच्छा से परिसमापन (परिसमापक नियुक्त)	7[18]
(ख)	समापन यथा बन्द करने के आदेश/अनुदेश जारी हो गए है परन्तु परिसमापन प्रक्रिया अभी तक प्रारंभ नही हुई है।	2[19]

1.27 स्वैच्छिक रूप से परिसमापन प्रक्रिया के लिये कम्पनी अधिनियम अधिक शीघ्रगामी है और उसको सशक्त रूप से अंगीकार/ अनुसरण करने की आवश्यकता है। सरकार इनकी अकार्यशील स्थिति को दृष्टिगत करते हुये इनको अस्तित्व में बनाए रखने की आवश्यकता की समीक्षा कर सकती है।

लेखाओं पर टिप्पणियां

1.28 अवधि अक्टूबर 2012 से सितम्बर 2013 के दौरान 43 कार्यशील कम्पनियों ने वर्ष के दौरान अपने अंकेक्षित 48 लेखे, प्रधान महालेखाकार को अग्रेषित किये । इनमें से 22 कम्पनियों के 27 लेखाओं को अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु चयन किया गया । भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अनुपूरक लेखापरीक्षा से प्रकट हुआ कि लेखाओं के संधारण की गुणवत्ता में अत्यधिक सुधार की आवश्यकता है । वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणामों पर सांविधिक लेखापरीक्षक तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य के विवरण तालिका क्र. 1.8 में है ।

तालिका क्रमांक 1.8

क्रं स.	विवरण	2010–11		2011–12		2012–13	
		लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	लाभ में कमी	11	208.26	8	463.78	3	8.39
2.	हानि में वृद्धि	3	64.36	4	40.45	2	52.16
3.	तथ्यों को प्रकट न करना	4	59.25	2	107.32	2	697.28
4.	वर्गीकरण की त्रुटियां	4	94.14	5	176.33	2	2548.36

(स्त्रोत :– नियंत्रक–महालेखापरीक्षक एवं सांविधिक लेखापरीक्षकों की कुल राशि पर टिप्पणी)

उपरोक्त तालिका प्रकट करती है कि सार्वजनिक उपक्रमों के लाभ/हानि एवं वर्गीकरण की त्रुटियों पर सांविधिक लेखापरीक्षक तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों का काफी प्रभाव है।

[18] मध्यप्रदेश लिफ्ट इरिगेशन निगम लिमिटेड; मध्यप्रदेश राज्य दुग्ध विकास निगम लिमिटेड; मध्यप्रदेश फिल्म विकास निगम लिमिटेड; मध्यप्रदेश पंचायती राज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड; मध्यप्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम लिमिटेड; ऑपटेल टेलीकम्यूनिकेशन लिमिटेड एवं मध्यप्रदेश विद्युत यंत्र लिमिटेड।

[19] मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम लिमिटेड एवं मध्यप्रदेश राज्य वस्त्रोद्योग लिमिटेड।

1.29 वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों ने कार्यशील कम्पनियों के समस्त लेखाओं को अर्हता प्रमाण पत्र दिये थे । भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने भी अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान 8 लेखाओं पर टिप्पणियां दी । इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानको का अनुपालन खराब रहा। वर्ष के दौरान 16 लेखाओं में लेखांकन मानकों के पालन न करने के 95 उदाहरण थे।

1.30 कम्पनियों के लेखाओं पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियों का उल्लेख नीचे किया गया है।

म. प्र. राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम लिमिटेड (2012–13)

- सरकार से साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क के लिये प्राप्त ₹1.32 करोड़ के अनुदान को लेखे में पूंजीगत कार्य प्रगति के स्थान पर चालू सम्पत्ति में आय दिखाया गया।

म. प्र. पॉवर मेनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड (2012–13)

- सहयोगी कम्पनी की समता में निवेश को ₹697.12 करोड़ कम दर्शाया गया जिसके परिणामस्वरूप अंश पूंजी भी उतनी ही राशि से कम दर्शाई गई।
- जनवरी 2013 के लिए उत्पादन आधारित प्रतिफल का लेखा न करने के परिणामस्वरूप अन्य आय व अन्य अचल सम्पत्ति ₹72.00 लाख से कम दर्शाई गई।
- राशि ₹ 2.06 करोड़ का भुगतान कर्मचारियों को अवकाश के नकदीकरण स्वरूप सेवानिवृत्ति के समय किया गया जिसकी वसूली मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी से की जानी थी। जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी हित व्यय को आधिक्य एवं मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी से व्यापार प्राप्य में ₹2.06 करोड़ कम दर्शाया गया।

म. प्र. राज्य सिविल सप्लाई निगम लिमिटेड (2011–12)

- कम्पनी द्वारा एक राशि को गलत वर्गीकरण करने के कारण नकद साख को गैर चालू दायित्व समझा गया। जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹2548.30 करोड़ के गैर चालू दायित्व का अधिक्य एवं उपरोक्त राशि से ही चालू दायित्व कम दर्शाया गया।
- कम्पनी ने कार्यालय भवन की स्थायी संपत्ति को पूंजीकृत नहीं किया। जिसके परिणामस्वरूप ₹1.56 करोड़ से स्थायी सम्पत्ति में कमी तथा पूंजीगत कार्य प्रगति में ₹1.56 करोड़ का अधिक्य आया।

1.31 वर्ष 2012–13 के दौरान एकमात्र कार्यशील सांविधिक निगम मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लाजिस्टिक निगम ने वर्ष 2011–12 के लिए अपने लेखे अग्रेषित किये थे । तथा जिसकी अनुपूरक लेखापरीक्षा में कोई महत्वपूर्ण टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई ।

आंतरिक नियंत्रण पर टिप्पणियां

1.32 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–3(क) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुसार सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस) को उनके द्वारा लेखापरीक्षा की गई कम्पनियों में आंतरिक नियंत्रण एवं आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली सहित विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है और ऐसे क्षेत्रों जिनमें सुधार की आवश्यकता है, कि पहचान करनी होती है । वर्ष 2012–13 के लिये 17 कम्पनियों की आंतरिक लेखापरीक्षा/आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सम्भावित सुधार पर सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई प्रमुख टिप्पणियों का एक निर्देश सारांश तालिका क्र. 1.9 में दिया है ।

तालिका क्रमांक 1.9

क्र. स.	सांविधिक लेखा परीक्षको द्वारा की गई टिप्पणियों की प्रकृति	कम्पनियों की संख्या जिनके लिए अनुशंसायें की गई	*परिशिष्ट 1.3* की कम्पनियों की क्र. स. का सन्दर्भ
1.	कम्पनी की प्रकृति तथा व्यवसाय के आकार के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली का अभाव	8	क.6ए क.15ए क.20ए क. 26ए क.27ए क.29ए क. 33ए तथा क.38ए
2.	लागत अभिलेखों का संधारण न करना	2	क.33ए क.44ए
3.	मात्रात्मक विवरण, दिनांकित स्थितियां, परिचय संख्या अधिग्रहण की तिथि, अचल परिसम्पत्तियों का मूल्य, ह्रासगत मूल्य तथा उनके स्थान सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित अभिलेख संधारित न करना	11	क.1ए क.3ए क.6ए क. 20ए क.21ए क.32ए क. 33ए क.34ए क.35ए क.36ए तथा क.43ए

(स्त्रोत :– सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में की गई टिप्पणियों के अनुसार)

लेखापरीक्षा के उल्लेख पर वसूलियां

1.33 वर्ष 2012–13 में औचित्य लेखापरीक्षा के समय सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों के प्रबन्धन को ₹25.80 करोड़ की वसूलियां बताई गई थी जिसमें से राशि ₹24.59 करोड़ 9[20] सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने स्वीकार की थी तथापि वर्ष 2012–13 में छह[21] सार्वजनिक उपक्रमों से केवल ₹3.77 करोड़ की वसूली की गई ।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधान सभा के पटल पर रखने की स्थिति

1.34 तालिका क्र.1.10 सांविधिक निगमों के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी विभिन्न पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को सरकार द्वारा विधान सभा पटल पर रखने की स्थिति को दर्शाती है ।

तलिका क्रमांक 1.10

क्र. स.	सांविधिक निगमों का नाम	वर्ष, जिनकी पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर रखे गए		
		पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सरकार को प्रेषित करने की तिथि	विधानसभा के पटल पर रखने की तिथि
1.	मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लाजिस्टिक निगम	2011.12	09 जनवरी 2013	19 मार्च 2013
2.	मध्यप्रदेश वित्त निगम	2011.12	13 दिसम्बर 2012	20 फरवरी 2013

[20] म.प्र.औ.के.वि.नि. (इन्दौर) लिमिटेड; मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड। मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिग कम्पनी लिमिटेड; मध्यप्रदेश वित्त निगम लिमिटेड; मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग निगम लिमिटेड; मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड; म.प्र.औ.के.वि.नि. (भोपाल), सेज इन्दौर लिमिटेड।

[21] म.प्र.औ.के.वि.नि. (इन्दौर)लिमिटेड; मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड,; मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिग कम्पनी लिमिटेड;मध्यप्रदेश वित्त निगम लिमिटेड;मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग निगम लिमिटेड।

मध्य प्रदेश सड़क परिवाहन निगम का वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जो कि 13 अप्रैल 2009 को जारी किया गया, विधान सभा के पटल पर नहीं रखा गया । इस हेतु म.प्र. सड़क परिवहन निगम द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया ।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, विधान सभा के पटल पर रखने में विलम्ब के कारण सांविधिक निगमों पर विधान मण्डल का नियंत्रण कमजोर हुआ और इसके कारण वित्तीय उत्तरदायित्व भी कमजोर हुये । सरकार को पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की विधान सभा में त्वरित प्रस्तुति सुनिश्चित करनी चाहिये ।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण तथा पुनर्गठन

1.35 सरकार ने वर्ष 2012–13 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के अपने किसी भी उपक्रम का विनिवेश, निजीकरण तथा पुनर्गठन नहीं किया । हालांकि, दिनांक 10 अप्रैल 2012 के प्रभाव से एम. पी. पावर ट्रेड़िग कंपनी लिमिटेड का नाम एम. पी. पावर मैनेजमैंट कंपनी लिमिटेड कर दिया गया है और इसे मध्यप्रदेश के तीन[22] विद्युत वितरण कंपनियों की होल्डिंग कंपनी बना दिया गया है। दिनांक 26 अप्रैल 2012 के प्रभाव से मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को परिसमापन के बिना खत्म कर दिया गया है । तथा 26 फरवरी 2013 से मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम का नाम संत रविदास हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम कर दिया गया हैं।

[22] मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड जबलपुर; मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड इन्दौर, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड भोपाल।